Rights of Transgender Persons Bill 2014

Version 1

टर्ांसजेंडर अधिकार विधेयक के कानून में बदलने में अभी कई कदम बाकी है। किसी भी विधेयक का संसद के दोनों सदनों में पारित होना तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। इस समय विधेयक केवल राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है। इसे अब लोक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। लोक सभा विधेयक में संशोधन कर सकतीं है और यदि ऐसा हुआ तो राज्य सभा को विधेयक को पुन पारित करना होगा और तत्पश्चात् ही उसे राष्ट्रपति के हस्लके लिये भेजाजा सकता है।

Version 2

राइट्स ऑफ़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल के कानून बनने से पहले के कई चरण अभी बचे हैं। एक्ट बनने से पहले बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। फिलहाल यह बिल केवल राज्यसभा में पास हुआ है। इसके बाद यह लोकसभा में विचार विमर्श और स्वीकृति के लिए पेश किया जायेगा। लोकसभा में इस बिल में बदलाव भी सुझाये जा सकते हैं। इस सूरत में बदला हुआ बिल राज्यसभा में स्वीकार होने पर ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के लिए भेजा जायेगा।